राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांकः– मुसप्र / 2017/450 दिनांकः– 31/7/17

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–नागौर के अधीन डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना नागौर के निम्नलिखित निरस्त आवासों का उप आवासन आयुक्त, वृत्त–बीकानेर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय के प्रस्तावानुसार एवम् संचालक मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 229.21 में लिये गये निर्णयानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण किए जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क. सं.	आय वर्ग	मकान संख्या	आवासों की सं.
1.	अल्प आय वर्ग	1/178, 181, 187, 190, 191, 194, 198 2/15, 18, 20, 24, 82, 83, 87, 90 3/408, 409, 422, 473, 475, 524, 533, 537, 401, 405, 479, 484, 486, 493, 500, 501, 504, 509, 512, 513, 514, 516, 522, 523	39
2.	मध्यम आय वर्ग–ब	1/111, 2/02, 03, 06, 09, 273, 275, 278, 289	9
3.	उच्च आय वर्ग	2/299	1
		कुल	49

राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज के तहत शहीद खुमाराम के आश्रित श्री मोहन राम को आवास संख्या 1/118 (मध्यम आय वर्ग 'ब') डा. भीमराव अम्बेड़कर, आवासीय योजना, नागौर को आवंटित कर दिया गया है।

नीलामी योग्य आवासों के निस्तारण से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंः–

1. आवासीय योजना में आवास/भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदन भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किए हुए हों, लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधि इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नही है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व /11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृति/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

-Sd/-
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त –बीकानेर, रा0आ0म0 बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड नागौर, रा0आ0म0 नागौर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/Newfile Letter